लोक–सुनवाई का वृत

सर्वश्री कुन्दन कुमार, जिला– लखीसराय द्वारा किउल नदी स्थित मौजा– गुरडीह, हसनपुर एवं घोषीकुण्डी, रेत ब्लॉक संख्या– 01 (कुल क्षेत्रफल– 13.7 हेक्टेयर), जिला– लखीसराय में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक–सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में दिनांक **31.05.2023** को अपराह्न **03:00** बजे सामुदायिक–सह–विवाह भवन, एन.एच.– 18, इंगलिश मोहल्ला, वार्ड संख्या– 2, पेट्रोल पम्प के निकट, जिला– लखीसराय में लोक–सुनवाई की गयी।

यह लोक–सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या– SIA/1(a)/ 2070/ 2022, दिनांक 11.01.2023 के आलोक में श्री सुधांशु शेखर, अपर समाहर्ता एवं अपर दंडाधिकारी, लखीसराय की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

प्रसंगाधीन लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा– "द टाइम्स ऑफ इंडिया", "हिन्दुस्तान टाईम्स", "अंग भारत", "दैनिक भास्कर" तथा "दैनिक जागरण" के माध्यम से दिनांक **28.04.2023** को प्रकाशित की गयी है **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक–सुनवाई के दौरान श्री एस.पी.राय, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, बरौनी, बेगूसराय के द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतू लोक–सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्त्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक–सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतू अनुरोध किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री श्रीकांत हाजरा ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एव कॉरपोरेट पर्यावरणीय दायित्व आदि के संबध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि–

1. यह बालू खनन पट्टा किउल नदी स्थित मौजा– गुरडीह, हसनपुर एवं घोषीकुण्डी, रेत ब्लॉक संख्या– 01 (कुल क्षेत्रफल– 13.7 हेक्टेयर), जिला– लखीसराय में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा कुन्दन कुमार को इस खनन पट्टा के लिए वैधन्तिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक संख्या– 01 में प्रतिवर्ष 1,70,154 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹1.69 करोड़ (नीलामी लागत सहित) अनुमानित है।

2. वालू खनन खनन पट्टा के सीमा के अंदर "वैज्ञानिक विधि" तथा अनुमोदित "खनन योजना" के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में विशेष उपाय दर्शाएं गए है।
3. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर अनुमोदित खनन योजना के अनुरूप सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं होगा। खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
4. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतू अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। इस मार्ग के रख–रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
5. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा।
6. खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
7. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों जैसे– मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
8. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाएं जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
9. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दवाब वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्रित किए गए खनिज (बालू) को ही निर्गत किया जाएगा।
10. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतू प्रतिदिन कम–से–कम तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देता खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय–समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं–

क्रमांक	प्रतिक्रिया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री चंचल कुमार, ग्राम– रामपुर, प्रखण्ड– चानन, लखीसराय के द्वारा खनन परियोजना से ग्रामीणों को होने वाले लाभ के बारे में पूछा तथा सुझाव दिया कि सड़क पर गिरे हुए बालू को नियमित रूप से उठाने की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए।	परियोजना प्रस्तावक के द्वारा आश्वासन दिया गया कि खनन परियोजना में स्थानीय ग्रामीणों की रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। परियोजना में लगने वाले की राशि का 2 प्रतिशत स्थानीय लोगों के विकास के लिए किया जाएगा। साथ ही सघन वृक्षारोपण (20 वृक्ष प्रति हेक्टेयर) भी किया जाएगा।
2.	श्री विजय कुमार, पिता– श्री नवल किशोर सिंह ग्राम– रामपुर, प्रखण्ड– चानन, लखीसराय के द्वारा बालू की ढुलाई को ढक कर करने की मांग की गई।	बालू का ढुलाई तिरपाल से ढक कर किया जाएगा जिसे धूलकणों का उत्सर्जन न्यूनतम किया जा सकेगा।
3.	श्री नवीन कुमार नवीन, पिता– स्व0 राम सुन्दर सिंह, ग्राम– रामपुर, प्रखण्ड– चानन, लखीसराय के द्वारा वृक्षारोपण के स्थान जानकारी मांगी गई।	खनन क्षेत्र, सार्वजनिक जमीन, सार्वजनिक सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जाएगा।
4.	श्री प्रवीण कुमार, पिता– श्री भोला यादव, ग्राम– रामपुर, प्रखण्ड– चानन, लखीसराय के जल छिड़काव की व्यवस्था संबंधित जानकारी मांगी गई।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा आश्वासन दिया गया है कि कम–से–कम तीन बार रास्तों पर जल का छिड़काव किया जाएगा।
5.	श्री मुरारी कुमार, पिता– श्री श्रवण कुमार, ग्राम– रामपुर, प्रखण्ड– चानन, लखीसराय के द्वारा बालू को ओवरलोडिंग से बालू सड़क पर गिरता है। इससे सड़क खराब होता है। इसे रोकने की व्यवस्था हो।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा आश्वासन दिया गया है कि ही बालू को तिरपाल से ढक कर ही ढुलाई किया जाएगा। इसके साथ ही खनिज विकास पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि ओवरलोडिंग के लिए काफी जुर्माना का प्रावधान है। इसमें वे–ब्रीज लगने के भी प्रावधान है।
6.	श्री विपुल कुमार, ग्राम– रामपुर, प्रखण्ड– चानन, लखीसराय के द्वारा वाहनों का गति एवं वाहन लाउडस्पीकर से अभद्र गानें एवं आवाज/शोर को नियंत्रित करने के बारे में पूछा गया।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा आश्वासन दिया गया है कि ढुलाई वाहनों को सामान्य गति पर ले जाया जाएगा। वाहनों में अभद्र गानों को बजाने पर वर्जित होगा।

लोक–सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता सह सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि बालू एक नैसर्गिक स्रोत है जिसका संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है।

इसके अत्याधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसका समुचित दोहन से स्थानीय एवं राज्य स्तर पर आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रण हेतू वर्णित उपायों के अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा।

लोक--सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता द्वारा सर्वसम्मति से प्रत्येक बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक–सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि0रा0प्र0नि0पर्षद्,
बेगूसराय।

अपर समाहर्ता
लखीसराय।

उपस्थिति सूची

सर्वश्री कुन्दन कुमार, जिला– लखीसराय के द्वारा लखीसराय जिला के अन्तर्गत किउल नदी स्थित मौजा– गुरडीह, हसनपुर एवं घोषीकुण्डी, रेत ब्लॉक संख्या– 01 (कुल क्षेत्रफल– 13.7 हेक्टेयर), जिला– लखीसराय में प्रस्तावित बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के पूर्व सामुदायिक–सह–विवाह भवन, वार्ड सं0–2, जिला– लखीसराय के प्रांगण में दिनांक 31.05.2023 (बुधवार) को आयोजित लोक सुनवाई में स्थानीय लोगों एवं पदाधिकारीगण की स्वःहस्ताक्षरित उपस्थिति–

क्र0सं0	नाम / पदनाम	पता	हस्ताक्षर
1	सुधांशु शेखर	APM & AE, Lakhisarai	[signature] 31/05/23
2	श्री एस०पी० राय, क्षेत्रीय पदाधिकारी	बि० रा० प्र० नि० पर्षद, बरौनी, बेगूसराय	[signature]
3	रणधीर कुमार (MDO, Lakhisarai)	खनिज विकास पदा०, लखीसराय	[signature] 31/05/2023
4	Sukanta Hazra (PGM Solutions)	Noida, UP	[signature] 31.05.2023
5	कुन्दन कुमार आवेदन कर्ता	ग्राम, पो०-रामपुर थाना सूर्यगढ़ा, लखीसराय	कुन्दन कुमार
6	अनील कुमार	रामचन्द्रपुर लखीसराय	अनील कुमार
7	राकेश कुमार	गुड्डी	Rakesh
8	रामाकान्त सिंह	धोबी कुण्डी	रामाकान्त सिंह
9	Shri Kishan	Batta Rampur	Shri Ra[illegible]
10	Sri Ramsingh	Batta Rampur	[signature]
11	Amit kumar	Rampur	Amit kumar
12	श्रीराम सिंह	रामपुर	श्रीराम सिंह
13	रामबहादुर सिंह	रामपुर	रामबहादुर सिंह

(14)	Naveen Kumar Mandal	L.K.R - W.N 9	Naveen
(15)	Murari Kumar	Lucky [illegible]	murari
(16)	निरंजन सिंह	सलौना चक	
(17)	पिन्टू सिंह	अशोक धाम चौकी	
(18)	रणजीत सिंह (धान्टी)	लखिया	Ranjit
(19)	Jaynand Kumar	L.K.R. W. 4	
20	टनटन कुमार		
21	चन्द्र मुखलाल सिंह	हलपुर	मुखलाल सिंह
22	विनोद पंडित	भोला टोला	विनोद पंडित
23	गोविन्द कुमार	पहाड़पुर	गोविन्द
24	टनटन कुमार		टनटन
25	अजीत कुमार	पहाड़पुर	अजीत
26	प्रविण कुमार	लखीसराय	प्रविण कुमार
27	कुमार विक्रम	सालिकपुर	Kumarvi
28	Dibyendu Kumar Mishra	अमहरा	Dibyendu Kumar Mishra
29	Chandan Kumar	Rampur	Ch
30	Kirandeo Singh	Rajowna chouki ward no-1	Kirandeo Singh

31	बिपुल कुमार	रामपुर	~~बि~~ कुमार
32	Rahul Kumar	Rampur	Rahul
33	कुमारी स्वाप	धर्मराम चक	कुमारी स्वाप
34	अमित	मोला टोला	
35	रितिक कुमार	मोला टोला	
36	सोनू कुमार	मोहा टोला	
37	रवि कुमार	मोला टोला	
38	बाबू कुमार	मोला टोला	
39	वीरेन्द्र सिंह	हसनपुर	वीरेन्द्र
40	Reenu	किउल	Reenu
41	राजेश	हसनपुर	Ram.
42	धर्मेन्द्र	गुण्डी	धर्मेन्द्र
43	Ramprasad	Hasanpur	Ramprasad
44	आमोद कुमार	हसनपुर	Amod
45	प्रमोद कुमार	हसनपुर	P.K. Singh
46	अमन यादव	हसनपुर	अमन यादव
47	मुकेश कुमार	हसनपुर	[illegible]
48	मोहन सिंह	हसनपुर	Mohan Singh